

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 1514]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 29, 2008/कार्तिक 7, 1930

No. 1514 NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 29, 2008/KARTIKA 7, 1930

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2008

का.आ. 2547 (अ).—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित के अनुसार भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 1566(अ), तारीख 5 नवम्बर, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

- (i) प्रारंभिक पैरा में "सम्पूर्ण भारत" शब्दों के पश्चात् (क्रम संख्या 2, पूसा बासमती 1121 से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सिवाय जो दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के लिए लागू होगा, के सिवाय) कोष्ठक और शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;
- (ii) सारणी में क्रम संख्यांक 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)		(2)	(3)	
"2	*	पूसा बासमती	धान"	
		1121		

[फा. सं. 17-5/2008-एसडी. IV]

उपमा चौधरी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में, संख्यांक का.आ. 1566(अ), तारीख 5 नवम्बर, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2008

S.O. 2547(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966) the Central Government hereby makes the following amendment to the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Co-operation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1566(E), dated the 5th November, 2005, namely:—

In the said notification,-

- (i) in the opening paragraph after the words "the whole of India" the brackets and words (except serial number 2, relating to Pusa Basmati 1121 which shall apply for Delhi, Punjab and Haryana) shall be inserted;
- (ii) in the Table, for serial number 2 and the entries relating thereto, the following Serial number and the entries shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)
··2	Pusa Basmati	Paddy"
	1121	

[F. No. 17-5/2008-SD.-IV]

UPMA CHAWDHRY, Jt. Secy.

Note: The principal notification was publishesd in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1566(E) dated the 5th November, 2005.